

प्रथम दस्तावेज 27.03.2026 का पक्ष

13.03.2026
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बानसूर, जिला कोटपुतली-बहरोड़ (राज.)

27.03.2026

अपराध 1.0.0. उपनिर्देशा अभियुक्तों का
चन्या व चनश्याम, सीताराम, संजय व
रोशन की आज्ञा की हजारी माफी का
प्राप्ति पर जरीसे कील स्वीकार किया
जाता है। श्रीमान, पी.०. साहू द्वारा
पर है। गताज्ञा हुआ वान्ते साध्य अभियोजन
पूर्वमियत निधि श्रीमान, पी.०. साहू
के समक्ष दिनांक 28.03.2026 को
पेश है।

27.03.2026

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बानसूर, जिला कोटपुतली-बहरोड़ (राज.)